1. Tenders & registration of contractors

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 4522/टेण्डर/प्र.अ./लो.स्वा.या.विभाग/05 भोपाल, दि. 8.6.05

प्रति

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिपत्र ....

विषयः– निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति की प्रकिया में विभिन्न स्तरों पर विलंब

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभाग के निविदा आंमत्रण के उपरांत विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे निविदाओ का परिक्षण, अग्रेषण स्वीकृति आादि में आदेश क्रमांक7–16–87/97/2/34 दिनांक 15.10.01 में निर्देश जारी किये जा चुके है । जिसमें कार्यपालन यंत्री से लेकर शासन तक प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही हेतु अधिकतम अवधि दर्शायी गयी है ।

शासन द्वारा निर्धारित उपरोक्त निर्देश जारी का कडाई स पालन किया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताावित की जावेगी ।

हस्ताक्षर
प्रमुख अभियंता

शासन से प्राप्त निर्देश निम्नानुसार है :–

1. निर्माण कार्य हेतु प्रथम निविदा आंमत्रण में निविदा विज्ञप्ति जारी होने के तिथि से निविदा प्राप्त करने की समयावधि 15 दिन तथा द्वितीय एवं उसके बाद की निविदा आंमत्रण हेतु समयावधि 10 दिन रखी जाये ।
2. नि.आ.सू. जारी करने के पुर्व निविदा आमंत्रण अधिकारी द्वारा निविदा सूचना के प्रारूप का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जावें ।
3. शासन एवं प्रमुख अभियंता स्तर पर स्वीकृति योंग्य निविदाएँ सामान्यतः अधीक्षण यंत्री द्वारा आमंत्रित की जावें ।
4. निविदा प्राप्त करने की तिथी में बिना ठोस कारणों के वृद्धि नहीं की जावें । निविदा प्राप्ति की तिथि में दुबारा अथवा अधिक बार परिर्वतन निविदा सूचना प्रारूप अनुमोदन दाता अधिकारी के पूर्वानुमति से ही किया जावे ।
5. प्राप्त निविदाओं के परीक्षण अग्रेषण अथवा स्वीकृति हेतु कार्यपालन यंत्री से लेकर शासन तक के प्रत्येक स्तर पर अधिकतम अवधि 10 दिवस रहेगी प्राप्त निविदाओं की अस्वीकृति में भी यही समय सीमा रहेगी ।